

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या -1805/2013/अजमेर

2. अपील संख्या -1806/2013/अजमेर

मैसर्स रामप्रताप भंवर लाल,
पुरानी मण्डी, अजमेर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राज., वृत्त-द्वितीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 13.04.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त (प्रशासन), सीमा प्रबन्धन एवं प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 01.06.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त (प्रतिकरापवंचन), राजस्थान, वृत्त द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 34 के अन्तर्गत अपीलार्थी व्यवसायी के री-ओपन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है।
2. इन सभी दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश दिनांक	कर निर्धारण आदेश का विवरण	
			वर्ष	आदेश दिनांक
1.	1805/2013	01.06.2009	2004-05 (आरएसटी)	26.03.2007
2.	1806/2013	01.06.2009	2004-05 (सीएसटी)	27.09.2007

4. प्रकरणों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 03.09.2005 को अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करके अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा पेश किये गये लेखा-पुस्तकों एवं क्रय-विक्रय बिलों की जांच की गई।

लगातार.....2

जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने विक्रय की घोषणा विवरण प्रपत्रों में की गई हैं उनमें राज्य के बाहर से की गई खरीद का जमा खर्च नहीं पाया गया है और ना ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत रिटर्न में इसे दिखाया गया है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर स्थगन प्राप्त किया, उसके बाद की तारीख पेशी पर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश को रि-ओपन करवाने के लिए अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रकरणों को रि-ओपन करवाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना ही विवादित कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय कर बोर्ड का निर्णय अपील संख्या 1616/2010/उदयपुर निर्णय दिनांक 12.12.2017 मैसर्स मोवनी एक्सटेन्शन प्रा.लि., फतेहनगर, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर उद्धरित किया। अतः उन्होंने सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये जाने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलों स्वीकार की जाने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने को निवेदन किया।

8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किये, अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर तारीख स्थगन प्राप्त किया। परन्तु बाद की तारीख पेशी पर उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं मिला। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित निर्णय माननीय कर बोर्ड का निर्णय अपील संख्या 1616/2010/उदयपुर निर्णय दिनांक 12.12.2017 मैसर्स मोवनी एक्सटेन्शन प्रा.लि.



लगातार.....3

,फतेहनगर, उदयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर के आलौक में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते है, और उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित करें, एवं साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को भी आदेशित किया जाता है कि वह नियत सुनवाई दिनांक को मय लेखा रेकॉर्ड के कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो। प्रकरण का 60 दिवस में निष्पादन किया जाना कर निर्धारण अधिकारी सुनिश्चित करें।

9. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार कर, उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य